

प्रायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प अमरगढ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अमरगढ भू.अ.नि कुनकटाकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मालियों की चौकी तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2070-73 में खाता संख्या 70 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मालियों की चौकी	70	घमण्डी पुत्र मिश्रया हि० 1/5, नाबालिग प्रियंका पुत्री मुनेश सरंक्षक सरपरस्त माता सीता हि० 1/5, शिवचरण पुत्र मिश्रया हि० 1/5, सीता पत्नि स्व० मुनेश हि० 1/5, हरिचरण पुत्र मिश्रया हि० 1/5 शेष प्रविष्टिया पूर्ववत रहेगी	घमण्डी पुत्र मिश्रया हि० 1/4, नाबालिग प्रियंका पुत्री मुनेश सरंक्षक सरपरस्त माता सीता हि० 1/8, शिवचरण पुत्र मिश्रया हि० 1/4, सीता पत्नि स्व० मुनेश हि० 1/8, हरिचरण पुत्र मिश्रया हि० 1/4 शेष प्रविष्टिया पूर्ववत रहेगी

मु.सं. 122
2018



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक:- 19 जून 2018

क्रमांक:- 293-294

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. रक्षित पत्रावली।


21/6/18



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी